रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 486] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 1974/अग्रहायण 7, 1896

No. 486] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 1974/AGRAHAYANA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November 1974

S.O. 679(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), S.O. No. 866(E), dated the 21st September, 1974, namely:—

In the said notification, in the Table, under column 1 item No. 13 for the word 'Melon' the word 'Musk melon' shall be substituted.

In the Hindi version of the said notification, in the Table under column 1 item No. 10 for the word 'Matar' the word 'Lobia' and under column 1 item No. 13 for the word 'Tarbuz' the word 'Kharbuza' shall be substituted.

[No. 7-4/73-SD(Vol. II)]

KUMARI ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1974

एस० ओ० 679(अ).—बीज अधिनियम, 1966(1966 का 54)की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बीज समिति से सलाह करने के बाद भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) की 21 सितम्बर, 1971 की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 566(इ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

अंग्रेजी में उक्त अधिसूचना की सारिणी में मद संख्या 13, कालम 1 के अंतर्गत 'मेलन' शब्द के लिए 'मस्क मेलन' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

उक्त अधिसूचना के हिन्दी रुपान्तर में सारिणी में कालम 1, मद संख्या 10 के अंतर्गत 'मटर' शब्द के लिए 'लोबिया' और कालम 1, मद संख्या 13 के अंतर्गत 'तरबूज' शब्द की जगह 'खरबूजा' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० 7-4/73-एस० डी० (खा० 2)]

कुमारी अम्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974